AFR

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

सुरक्षित

परिवाद संख्या : 21/2004

मै0 जय शोभन मिनी राइस मिल, स्थित साइट नं0–1 इण्डस्ट्रियल एरिया दही चौक, सिटी एण्ड डिस्ट्रिक्ट–उन्नाव द्वारा प्रौपराइटर कम पार्टनर, अशोक कुमार, रूप नारायण, राजेश कुमार पुत्रगण स्व0 बाबू राम निवासी–83, आवास विकास कालोनी, चन्द्र शेखर आजाद नगर, सिटी एण्ड डिस्ट्रिक्ट–उन्नाव।

..... परिवादी।

बनाम्

1. नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0, हैड ऑफिस–3, मिडलेटन स्ट्रीट, कोलकाता, पिन–700071, पी. बी. नं.–3229, स्थानीय शाखा कार्यालय मुहल्ला बाबूगंज, सिटी एण्ड डिस्ट्रिक्ट–उन्नाव, द्वारा ब्रान्च मैनेजर, उन्नाव।

2. ब्रान्च मैनेजर, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उन्नाव।

..... विपक्षीगण।

रामक्ष :–

1. **मा0 श्री सैयद अली अज़हर रिज़वी, पीठासीन सदस्य ।**
2. **मा0 श्री जुगुल किशोर, सदस्य ।**

परिवादी की ओर से उपस्थित :– श्री आलोक रंजन विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी सं0–1 की ओर से उपस्थित :– श्री अशीष कुमार श्रीवास्त विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी सं0–2 की ओर से उपस्थित :– श्री बी0एल0जायसवाल विद्वान अधिवक्ता के सहयोगी श्री संजय जायसवाल।

दिनांक : 13-05-2011

पीठ के आदेश दि० 18.05.2011 के अन्तर्गत टंकण त्रुटि सुधार की गई। 18.5.11

मा0 श्री सैयद अली अज़हर रिज़वी, पीठासीन सदस्य द्वारा उद्घोषित

निर्णय

इस परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मै0 जय शोभन मिनी राइस मिल, वर्ष 1999 में तीन सगे भाईयों, सर्व श्री अशोक कुमार, रूप नारायण एवं राजेश कुमार पुत्रगण पुत्रगण स्व0 बाबू राम निवासी–83, आवास विकास कालोनी, चन्द्र शेखर आजाद नगर, सिटी एण्ड डिस्ट्रिक्ट–उन्नाव द्वारा स्वयं के जीविकोपार्जन हेतु औद्योगिक क्षेत्र उन्नाव में स्थापित की गयी, जिसे निदेशक, उद्योग द्वारा दिनांक 07.01.1999 को पंजीकृत किया गया। वर्ष 2000 में परिवादी द्वारा सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उन्नाव में राइस मिल के सफल संचालन हेतु धान खरीद हेतु कैश कैडिट लिमिट हेतु आवेदन किया गया, जिस पर उक्त बैंक को परिवादी मिल की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 04.09.2000 में प्राप्त हुई, जिसमें भवन का मूल्य 9,47,920.00 वैल्यूअर द्वारा निर्धारण किया गया। परिवादी मिल की प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का वैल्यूअर द्वारा मूल्य निर्धारण रू0 18,47,000.00 को भी बैंक को प्रेषित किया गया और सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा परिवादी मिल को 20.00 लाख रू0 की कैश कैडिट लिमिट धान कय करने हेतु तीनों भाईयों के जीविकोपार्जन हेतु स्वीकृत की गयी। परिवादीगण द्वारा बैंक में रू0 15.00 लाख विनियोजित किया गया। परिवादीगण द्वारा प्रारम्भ से ही बीमा पालिसी " Standard fire and special perils policy " अग्निकाण्ड तथा चोरी की घटना

से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु विपक्षी बीमा कम्पनी से दिनांक 22.10.2002 को ली गयी।इसका नं0–450404/11/02/3100607 था और यह पालिसी दिनांक 21.10.2002 से 21.10.2003 की मध्य रात्रि तक प्रभावी थी, जिसके अन्तर्गत परिवादी मिल का भवन रू0 10.00 लाख, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी रू0 18,47,000.00 तथा धान के स्टॉक के अतिरिक्त गोदाम में भण्डारित अन्य सामग्री रू0 35.00 लाख के लिए बीमित थीं। परिवादी द्वारा उक्त बीमा पालिसी हेतु रू0 22,326.00 का प्रीमियम भुगतान किया गया।

विपक्षी सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया उन्नाव के यहाँ उक्त 20.00 लाख रू. की कैश कैडिट लिमिट हेतु परिवादी द्वारा अपना स्टॉक बन्धक रखा गया था, जिस हेतु विधिवत उक्त बैंक को स्टॉक की स्थिति नियमित रूप से भेजने हेतु परिवादी बाध्य था, जिसका परिवादी द्वारा नियमित रूप से पालन किया गया। परिवादी द्वारा माह अप्रैल के स्टॉक की स्थिति दिनांक 05.04.2003 को बैंक को फिनिश्ड चावल ग्रेड ' ए ' 337.40 कुन्तल, 3,37,400.00 रू0 चावल साधारण 2734.81 कुन्तल, 27,34,810.00 रू0 चावल ब्रान एण्ड पालिश 120 कुन्तल, 48,000.00 रू0 तथा भूसी कीमत 25,000.00 रू0, जिनका कुल मूल्य रू0 31,45,210.00 उक्त बैंक को संसूचित किया गया। परिवादी मिल में भण्डारित चावल का स्टॉक बिना कृषि उत्पादन मण्डी समिति तथा वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा निर्गत गेट पास तथा स्टॉक सत्यापन के विक्रय नहीं किया जा सकता। उक्त अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.04.2003 को सत्यापन किया गया, जिसमें चावल ग्रेड ' ए ' 337.40 कुन्तल, चावल साधारण विगत वर्ष 2001–2002 का 1438.12 कुन्तल, चावल साधारण जो वर्ष 2002–2003 में उत्पादित किया गया 1296.69 कुन्तल कुल चावल 3072.21 कुन्तल परिवादी के गोदाम में पाया गया और तदनुसार उनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। दिनांक 30.04.2003/01.05.2003 की मध्य रात्रि को परिवादी मिल परिसर में विद्युत शार्ट सर्किट के कारण अग्नि दुर्घटना हो गयी। परिवादी द्वारा फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, परन्तु यह अग्निकाण्ड इतना भयावह था कि उससे सम्पूर्ण परिवादी मिल, उसका भवन, साज–सज्जा, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी तथा सम्पूर्ण चावल स्टॉक आदि नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड द्वारा अपनी रिपोर्ट उसी दिन पुलिस स्टेशन कोतवाली उन्नाव में दी गयी।

दिनांक 02.05.2003 को विपक्षीगण को परिवादी मिल द्वारा उक्त घटना की सूचना हेतु एक आवेदन दिया गया। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा श्री पी0सी0 शुक्ला सर्वेयर को नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 05.05.2003 को परिवादी मिल का निरीक्षण किया और पाया कि सम्पूर्ण मिल, बिल्डिंग, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी, चावल स्टॉक सहित जल चुका है। परिवादी को ज्ञात हुआ कि उक्त सर्वेयर द्वारा सही रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी और उसने उक्त चावल, जो जलकर राख हो गया था, उसे राख न दिखाकर विपक्षी को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया। सर्वेयर द्वारा यह भी पाया गया कि प्लाण्ट एण्ड मशीनरी, बिल्डिंग आदि पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं, परन्तु उसके द्वारा मनमानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

परिवाद पत्र में फसली वर्ष 2001–2002, 2002–2003 में 01.05.2003 तक का मण्डी शुल्क, विकय कर आदि सहित, स्टॉक की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा सर्वेयर की उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त, विपक्षी द्वारा भेजे गये दावा प्रपत्र पर, उसके द्वारा मांगे गये सम्पत्ति आदि की हुई क्षति के विवरण में प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की क्षति की मद में 18,47,000.00 रू0, भवन की क्षति की मद में 6,09,494.00 रू0 जैसा कि आर्किटैक्ट इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन किया गया है, इसके अतिरिक्त चावल साधारण (2734.81 कुन्तल) की क्षति के मद में 26,93,787.85 रू0, चावल ग्रेड ' ए ' (337.40 कुन्तल) की मद में 3,32,339.00 रू0, इस प्रकार कुल परिवादी मिल को हुई क्षति रू0 54,82,620.85 का दावा विपक्षी बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया।

परिवादी मिल द्वारा, बैंक से ली गयी कैश कैडिट लिमिट रू0 20.00 लाख के विपरीत आहरित ऋण के ब्याज सहित भुगतान के दायित्व से निपटने हेतु विपक्षी बीमा कम्पनी से परिवादी मिल ने उपरोक्त क्षति की धनराशि के आंशिक भुगतान हेतु अनुरोध किया गया ताकि वह सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को अपने ऊपर लगे ऋण का कुछ सीमा तक भुगतान कर सके, जिस पर बीमा कम्पनी द्वारा तद्नुसार सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में रू0 11,27,693.00 का चेक तथा एक वाउचर फॉर्म दिनांकित 29.03.2004, जो अशोक कुमार (परिवादी मिल का एक प्रौपराइटर) को जारी किया गया, जिसमें यह कहीं लिखा नहीं था कि सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उन्नाव के पक्ष में निर्गत उक्त धनराशि का परिवादी के क्लेम के फुल एण्ड फाइनल सैटिलमेण्ट के रूप में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त चेक सं0–0172892 सीधे सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, उन्नाव को दस्ती भेजा गया।

बीमा कम्पनी से उक्त चेक प्राप्त होने के उपरान्त पुनः विपक्षी बैंक द्वारा परिवादी को सूचित किया गया कि उसके ऊपर अभी भी 10,19,135.86 रू0 की देयता है, जिसका भुगतान किया जाना है। विपक्षी बैंक से सम्पर्क किया गया। विपक्षी बैंक तथा विपक्षी बीमा कम्पनी से शेष भुगतान के सम्बन्ध में पूछताछ की, जिससे यह ज्ञात हुआ कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा विपक्षी बैंक को उक्त चेक बीमा के settlement के उपरान्त जारी किया गया।

विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी मिल को हुई वास्तविक क्षति के settlement के रूप में उपरोक्त भेजी गयी धनराशि में बीमा कम्पनी के अनुसार चावल स्टॉक की स्थिति 3072.21 कुन्तल की क्षति के रूप में मात्र 5,27,248.00 रू0, भवन क्षति के रूप में 1,35,283.50 रू0 तथा प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की क्षति के रूप में 4,77,045.60 रू0 सम्मिलित हैं। इस प्रकार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को हुई वास्तविक क्षति के विपरीत मात्र कथित चेक द्वारा भेजी गयी धनराशि परिवादी द्वारा बीमा दावा में उल्लिखित वास्तविक क्षति को नकारते हुए निर्गत किया जाना विपक्षी बीमा कम्पनी के स्तर पर सेवा में कमी का द्योतक है। परिवादी द्वारा उक्त चेक के कम में विपक्षी बीमा कम्पनी को पत्र दिनांक 06.05.2004 को भेजा, जिस पर उसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। विवश होकर परिवादी मिल द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया

गया, जिसका कुल मूल्यांकन 43,54,927.00 रू0 है, जिसके आधार पर परिवादी द्वारा अदा की गयी 500.00 रू0 कोर्ट फीस के भुगतान के साथ–साथ निम्नवत् भुगतान दिलाये जाने हेतु परिवाद में प्रार्थना की गयी है :–

(क) विपक्षी बीमा कम्पनी को रू0 43,54,927.00 अग्नि काण्ड में हुई क्षति की बीमा पालिसी के अन्तर्गत शेष धनराशि का 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान हेतु निर्देशित किया जाय।

(ख) परिवादी को हुई मानसिक, शारीरिक परेशानी की क्षतिपूर्ति हेतु 10,000.00 रू0 परिवाद व्यय सहित दिलाये जायें।

विपक्षी सं0–1, नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया गया कि परिवादी ने कथित " Standard fire and special perils policy ", जो दिनांक 22.10.2002 से 21.10.2003 तक प्रभावी थी, उनसे ली थी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न मदों में जोखिम यथा (1) भवन के लिए 10,00,000.00 रू0, (2) प्लाण्ट एण्ड मशीनरी के लिए 18,47,000.00 रू0, (3) स्टॉक के लिए 35,00,000.00 रू0, इस प्रकार कुल जोखिम रू0 63,47,000.00 का था। विपक्षी सं0–1 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि परिवादी द्वारा उक्त अग्निकाण्ड की सूचना उसे 02.05.2003 को दी गयी थी। उसने सर्वेयर तथा लॉस असेसर श्री पी0 सी0 शुक्ला को उक्त प्रकरण की जांच/विवेचना हेतु नियुक्त किया, जिसके द्वारा समस्त पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त 11,29,577.10 रू0 का बीमा दावा संस्तुत किया गया। सर्वेयर द्वारा "स्टॉक" की अपनी रिपोर्ट में समीक्षा की गयी, जिसमें परिवादी द्वारा याचित स्टॉक की मद में बीमा क्लेम को अत्यधिक बताया गया है। इस प्रकार विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में परिवादी द्वारा प्रेषित 54,82,620.85 रू0 का दावा अत्यधिक, आधारहीन बताया गया। सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा रू0 11,27,693.00 का बीमा दावा अनुमोदित किया गया तथा परिवादी को औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया। विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि परिवादी द्वारा उक्त अनुमोदित धनराशि प्राप्त करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी तथा डिस्चार्ज वाउचर दिनांक ~~29.30.2004~~ 29-03-2004 परिवादी द्वारा " full and final settlement of the claim " के आधार पर हस्ताक्षरित किया गया। परिवादी द्वारा यह कभी नहीं कहा गया कि वह उक्त दावा आंशिक भुगतान के रूप में स्वीकार कर रहा है। विपक्षी बीमा कम्पनी ने चेक सं0–0172892 दिनांकित 31.03.2004 धनराशि 11,27,693.00 रू0 विपक्षी सं0–2 बैंक के पक्ष में सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर " full and final settlement of the claim " के आधार पर निर्गत किया गया और इस प्रकार परिवादी का क्लेम विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उसके स्तर पर सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है। अग्रेतर विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि यह सुव्यवस्थित विधि व्यवस्था है कि यदि कोई बीमा दावा " full and final settlement of the claim " के आधार पर निस्तारित हो जाता है तो उसके उपरान्त परिवादी पुनः दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई

दावा ग्राह्य है। प्रस्तुत वाद ग्राह्य नहीं है, क्योंकि विपक्षी बीमा कम्पनी के स्तर पर सेवा में कमी परिलक्षित नहीं होती है। अग्रेतर विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि परिवादी की धनराशि में से रू0 1794.00 की धनराशि "re-instatement premium" घटाकर विपक्षी सं0–2 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में चेक सं0–0172892 परिवादी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि परिवादी की ओर से दिनांक 12.05.2004 को विपक्षी बैंक के क्षेत्रिय कार्यालय में अकस्मात एक विरोध पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि बैंक से लिए गये ऋण के दवाब के कारण विपक्षी बीमा कम्पनी को बीमा दावा आंशिक भुगतान हेतु आवेदन किया गया, जो पूर्णतया मिथ्या एवं कूटरचित है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उल्लेख किया है। विपक्षी बीमा कम्पनी के स्तर पर कोई सेवा में कमी नहीं की गयी है। परिवाद उक्त तथ्यों पर खण्डित होने योग्य है।

विपक्षी सं0–2 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अपने लिखित अभिकथन में यह स्वीकार किया गया है कि वेल्यूअर द्वारा प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की मद में मूल्यांकन रू0 18,47,000.00 आंकलन रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अग्रेतर यह भी कथन किया गया है कि प्रारम्भ में परिवादी को दिनांक 05.01.2000 को 05.00 लाख रू0 की कैश कैडिट लिमिट विपक्षी सं0–2 बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी थी, जो दिनांक 07.09.2000 को बढ़ाकर 20.00 लाख रू0 कर दी गयी, परन्तु विपक्षी सं0–2 की जानकारी में यह नहीं है कि परिवादी द्वारा 15.00 लाख रू0 की अपनी व्यक्तिगत धनराशि इन्वेस्ट की जा चुकी है और परिवादी का स्टॉक विपक्षी सं0–2 बैंक के पक्ष में बन्धक रखा गया और परिवादी को नियमित रूप से अपना बन्धक माल के स्टॉक की स्थिति विपक्षी बैंक को भेजना आवश्यक है। प्रश्नगत अग्निकाण्ड की घटना स्वीकार है। परिवादी अपने ऊपर लगी हुई ऋण की राशि ब्याज सहित विपक्षी सं0–2 बैंक को भुगतान हेतु बाध्य है तथा विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी के ऋण खाते में समायोजन हेतु निर्गत चेक रू0 11,27,693.00 विपक्षी सं0–2 बैंक के पक्ष में प्राप्त किया जाना स्वीकार है। परिवादी, विपक्षी सं0–2 बैंक से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवादी द्वारा ग्राम टीकरगढ़ी, परगना–तहसील–जनपद उन्नाव में भूखण्ड सं0–2589 तथा भवन सं0–83 आवास विकास परिषद, उन्नाव से सम्बन्धित मूल अभिलेख ऋण की धनराशि के विरूद्ध बन्धक रखने हेतु विपक्षी सं0–2 बैंक को उपलब्ध कराये गये थे। जैसा कि परिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विपक्षी सं0–2 बैंक प्रश्नगत बीमा दावा के शीघ्र निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी विपक्षी सं0–1 के सम्पर्क में रहा। इस प्रकार बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सेवा में कमी नहीं की गयी है और न ही बैंक के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।

परिवादी मिल की ओर से उसके स्वामी श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 बाबूराम द्वारा विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी तथा विपक्षी सं0–2 बैंक के लिखित अभिकथनों के प्रत्युत्तर में अपने परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अग्रेतर विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी के लिखित अभिकथन के प्रस्तर–2 व 3 में अंकित बातों

को नकारा गया, परन्तु यह स्वीकार किया गया कि परिवादी चावल मिल द्वारा विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी को प्रश्नगत बीमा पालिसी हेतु 22,326.00 रू0 का प्रीमियम अदा किया गया था। मार्च, 2003 की स्टॉक स्थिति विपक्षी सं0-2 बैंक को दिनांक 05.04.2003 को स्टॉक विवरण प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि भी परिवादी द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ संलग्न की गयी है। अग्रेतर परिवादी की ओर से यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा समस्त सुसंगत प्रपत्र विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी के सर्वेयर को सर्वे के दौरान् उपलब्ध करा दिये गये थे। परिवादी अथवा कोई भी चावल मिल बिना कृषि उत्पादन मण्डी समिति की अनुमति/गेट पास निर्गत कराये अपना स्टॉक विक्रय नहीं कर सकती। अग्रेतर वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा परिवादी के चावल के दिनांक 30.04.2003 के स्टॉक का सत्यापन किया गया था तथा उनके द्वारा चावल ग्रेड 'ए' 337.40 कुन्तल, चावल साधारण पूर्व वर्ष 2001-2002 का 1438.12 कुन्तल तथा चावल साधारण वर्ष 2002-2003, जो उत्पादित होना था 1296.69 कुन्तल, इस प्रकार कुल चावल 3072.21 कुन्तल का स्टॉक परिवादी मिल के परिसद में स्थित गोदाम में रखा गया, जिनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी परिवादी की ओर से योजित शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। इस प्रमाण पत्र में यह भी अंकित है कि उपरोक्त सम्पूर्ण चावल 3072.21 कुन्तल पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाबजूद विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी का बीमा दावा निस्तारित करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया। अस्तु परिवादी के ऊपर विपक्षी सं0-2 बैंक द्वारा उसके ऋण भुगतान हेतु दवाब डालने के कारण तथा बढ़ते ब्याज को देखते हुए अन्तरिम भुगतान हेतु विपक्षी बीमा कम्पनी से परिवादी द्वारा सम्पर्क किया गया। परन्तु, विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी की ओर से, परिवादी की बिना किसी स्वीकृति/सहमति के प्रश्नगत चेक सं0-0172892 धनराशि 11,29,577.00 रू0 विपक्षी सं0-2 बैंक को सीधे भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा हस्ताक्षरित डिस्चार्ज वाउचर का उक्त भुगतान परिवादी के " full and final settlement of the claim " के आधार पर किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके लिए विपक्षी सं0-2 बैंक द्वारा परिवादी से कोई अनुमोदन/सहमति प्राप्त नहीं की गयी। अग्रेतर डिस्चार्ज वाउचर की धनराशि 11,29,577.00 रू0 अंकित की गयी है, जबकि 02 दिन बाद बैंक को भेजा गया डिस्चार्ज वाउचर दिनांक 31.03.2004 में धनराशि 11,27,693.00 अंकित की गयी है। इससे पूर्व विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी द्वारा सीधे परिवादी को 11,29,577.00 रू0 भुगतान हेतु डिस्चार्ज वाउचर दिनांकित 29.03.2004 भेजा गया, जिसमें " full and final settlement of the claim " अंकित नहीं है, बल्कि आंशिक भुगतान के रूप में रू0 11,29,577.00 का भुगतान अंकित किया गया है। बिना परिवादी की सूचना के पहले दिनांक 31.03.2004 को विपक्षी सं0-2 बैंक को एक अन्य डिस्चार्ज वाउचर रू0 11,27,693.00 का भुगतान हेतु प्राप्त किया जाना संदेहास्पद है और विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी के स्तर पर **अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस** का द्योतक है और उसकी कदाशयता परिलक्षित होती है। सर्वेयर द्वारा सम्पूर्ण मिल चावल, उसकी साज-सज्जा प्लाण्ट एण्ड मशीनरी आदि नष्ट हो जाने के कारण परिवादी को हुई अपार क्षति की तुलना में मात्र

लगभग 11.00 लाख रू0 की क्षति आंकलित करना आश्चर्यजनक है और विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी के उक्त सर्वेयर पर अनावश्यक दवाब का परिचायक है। विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी परिवादी को अंधकार में रखते हुए भुगतान विपक्षी सं0—2 बैंक को करने तथा सम्पूर्ण धन का दावा स्वीकार न किये जाने के कारण उसके द्वारा सेवा में कमी की गयी है। विपक्षी सं0—2 को परिवादी द्वारा नियमित रूप से बन्धक माल के स्टॉक की स्थिति भेजी जाती रही और अन्तिम रूप से स्टॉक की स्थिति दिनांक 05.04.2003 को दी गयी थी। विपक्षी बैंक के अधिकारी द्वारा विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी के स्तर पर षड़यन्त्र करके किसी प्रलोभन अथवा प्रभाववश मात्र 11,27,693.00 रू0 की धनराशि विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी से " full and final settlement of the claim " के आधार पर डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर कर प्राप्त कर ली गयी। इस प्रकार बैंक द्वारा सेवा में कमी की गयी है। परिवादी के उपरोक्त शपथ पत्र के साथ उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र, विवरण आदि की प्रतियॉ भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। अग्रेतर विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी द्वारा निष्पक्ष सरकारी एजेन्सी, कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अधिकारी द्वारा उक्त स्टॉक की क्षति होने का आंकलन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी उसे उपलब्ध कराया गया। परिवादी द्वारा अपने शपथ पत्र में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा " यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम् अजमेर सिंह कॉटन एण्ड जनरल मिल्स व अन्य, 1999(3) सीपीआर पृष्ठ 53 एस.सी. " में प्रतिपादित सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत् है :—

" The mere execution of the discharge voucher and acceptance of the insurance claim would not estop the insured from making further claim from the insurer but only under the circumstances as noted earlier. The Consumer Dispute Redressal Forum and Commissions are constituted under the Act shall have also power to fasten liability against the insurance company not-withstanding to issuance of discharge voucher. "

परिवादी का यह भी कथन है कि विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी द्वारा उक्त क्षति के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में मात्र सर्वेयर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर उसके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि परिवादी का दावा अनौचित्यपूर्ण तथा आधारहीन है, जबकि परिवादी द्वारा समस्त सुसंगत एवं सारवान साक्ष्य शपथ पत्र तथा अन्य विश्वसनीय अभिलेखों के साक्ष्य यथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति का प्रमाण पत्र, खाद्य एवं रसद विभाग का मूवमेण्ट चालान, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक की रिपोर्ट, विपक्षी बैंक को प्रेषित अग्निकाण्ड से शीघ्र पहले की स्टॉक स्थिति आदि प्रस्तुत किये गये हैं।

इसी प्रकार परिवादी के एक कर्मचारी श्री भारत पुत्र स्व0 जयराम द्वारा योजित शपथ पत्र में भी लगभग ऐसी ही स्थिति व्यक्त की गयी है कि उपरोक्तानुसार 3072.21 कुन्तल चावल का स्टॉक आग में नष्ट हो गया था। परिवादी ने उक्त अग्निकाण्ड के पूर्व दिनांक 05.04.2003 को विपक्षी बैंक को मार्च 2003 का स्टॉक विवरण प्रेषित किया था और उक्त

स्टॉक वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा दिनांक 30.04.2003 को सत्यापित किया गया था और कृषि उत्पादन मण्डी समिति से दिनांक 30.04.2003 से 01.05.2003 के बीच परिवादी के किसी भी माल के स्टॉक की बिकी नहीं की गयी अन्यथा उसका उल्लेख कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अभिलेखों में अवश्य होता, क्योंकि उनकी बिना अनुमति के, गेट पास के कोई भी स्टॉक किसी भी चावल मिल का बिकय नहीं किया जा सकता, जिसकी पुष्टि स्वरूप कृषि उत्पादन मण्डी समिति उन्नाव द्वारा दिनांक 27.07.2004 को निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अन्तर्गत यह प्रमाणित किया गया है कि " मैसर्स जय शोभन मिनी राइस मिल साईट नं0 1 इण्डस्ट्रियल एरिया उन्नाव के मिल में दिनांक 30.04.2003 को कुल चावल 3,072.21 कुन्तल स्टॉक में था जो दिनांक 01.05.2003 की मध्य रात्रि में अचानक आग लग जाने के कारण फर्म का सम्पूर्ण चावल 3,072.21 कु0 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे सत्यापित किया जाता है " । अग्रेतर श्री भारत द्वारा अपने शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अग्निकाण्ड की घटना की सूचना फायर ब्रिगेड दस्ते को दी गयी और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, परन्तु सम्पूर्ण स्टॉक जलकर राख हो गया और समस्त मिल भवन, साज–सज्जा, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी एवं सम्पूर्ण चावल स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया।

उपरोक्त अशोक कुमार तथा उक्त कर्मचारी भारत दोनों द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ सम्पूर्ण सुसंगत साक्ष्य/अभिलेख योजित किये गये हैं।

उपरोक्त अशोक कुमार पुत्र स्व0 बाबूराम द्वारा परिवादी मिल की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी योजित किया गया है, जिसमें परिवाद के समर्थन में पूर्व में योजित शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है। अग्रेतर उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट दिनांक 01.05.2003 की प्रतिलिपि भी योजित की गयी है। अग्निशमन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " उक्त राइस मिल की सभी मशीनें क्षतिग्रस्त हो गईं एवं राईस मिल का शेड एवं भवन टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया तथा उक्त मिल में रखा बारदाना एवं चावल काफी जलकर नष्ट हो गया एवं बचा हुआ सामान पानी के भीग जाने से एवं मलवे की मिट्टी मिल जाने के कारण अप्रयोगशील हो गया। निरीक्षण करने पर आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट ज्ञात हुआ। चालू विद्युत लाइन कटवाकर आग बुझाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आग से अनुमानित क्षति लगभग 21,00,000.00 रू0 की हुई होगी "। इसके अतिरिक्त शासन से अनुमोदित वेल्यूअर इंजीनियर श्री ए0 के0 शुक्ला की भवन क्षति से सम्बन्धित मूल्यांकन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की गयी है, जिसके अनुसार भवन की अनुमानित 6,09,494.00 रू0 की क्षति हुई। परिवादी का यह भी तर्क है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेयर का शपथ पत्र भी योजित नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सकता कि उसके द्वारा मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है, जबकि मात्र प्लाण्ट एण्ड मशीनरी तथा साज–सज्जा का 18,47,000.00 रू0 का बीमा कराया गया था, जो सब का सब नष्ट हो गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को श्रवण करने तथा अभिलेखों के अनुशीलनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि परिवादी द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी से दिनांक ~~22.10.2010~~ 22.10.2002 को " Standard fire and special perils policy ", जो दिनांक 22.10.2002 से 21.10.2003 तक प्रभावी थी, ली गयी थी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न मदों में जोखिम यथा (1) भवन के लिए 10,00,000.00 रू0, (2) प्लाण्ट एण्ड मशीनरी के लिए 18,47,000.00 रू0, (3) स्टॉक के लिए 35,00,000.00 रू0, इस प्रकार कुल जोखिम रू0 63,47,000.00 का था। परिवादी द्वारा उक्त बीमा पालिसी हेतु रू0 22,326.00 का प्रीमियम भुगतान किया गया। कथित अग्निकाण्ड की घटना मध्य रात्रि 30.04.2003/01.05.2003 को शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। दिनांक 01.05.2003 को प्रातः 5.10 पर फायर ब्रिगेड को सूचना की गयी तथा विपक्षीगण को दिनांक 02.05.2003 को सूचना की गयी। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 05.05.2003 को श्री पी0सी0शुक्ला को सर्वेयर नियुक्त किया गया। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा आंशिक भुगतान 11,27,693.00 रू0 का विपक्षी बैंक के पक्ष में अवमुक्त किया गया। दिनांक 29.03.2004 को परिवादी मिल के स्वामी श्री अशोक कुमार द्वारा डिस्चार्ज वाउचर हस्ताक्षर किया गया। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा विपक्षी बैंक को चेक द्वारा कथित भुगतान किया गया, जिसके द्वारा उक्त धनराशि का चेक परिवादी को बिना सूचना किये " full and final settlement of the claim " के आधार पर स्वतः प्राप्त कर लिया गया। उपरोक्त दोनों डिस्चार्ज वाउचर्स में भिन्नता है, जिनमें एक पर परिवादी के हस्ताक्षर हैं और उस पर " full and final settlement of the claim " के आधार पर भुगतान का उल्लेख नहीं है, जबकि दूसरा डिस्चार्ज वाउचर विपक्षी बैंक की ओर से हस्ताक्षरित है और उस पर " full and final settlement of the claim " के आधार पर भुगतान का अंकन है। अग्रेतर उक्त 11,27,693.00 रू0 की धनराशि का भुगतान परिवादी को न करके सीधे विपक्षी बैंक को किया जाना भी न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि दोनों विपक्षीगण के बीच कूटरचित संधि का द्योतक है, क्योंकि भुगतान बीमित व्यक्ति को ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि का भुगतान विधि अनुसार परिवादी चावल मिल को किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या विपक्षी बीमा कम्पनी के स्तर पर सेवा में कमी परिलक्षित होती है।

जहाँ तक विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा क्षति के मूल्यांकन का प्रश्न है, परिवादी का सम्पूर्ण स्टॉक विपक्षी बैंक के पास बन्धक था और अप्रैल, 2003 के स्टॉक की स्थिति में कुल 3072.21 कुन्तल चाल की मात्रा अंकित है। सर्वेयर द्वारा अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षी बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवादी नियमित रूप से 2001–2002 से बैंक को स्टॉक का विवरण भेज रहा था। लेखा–जोखा का संचालन सन्तोषजनक है और बैंक द्वारा भी सर्वेयर को स्टॉक विवरण की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करायी गयीं। सर्वेयर द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कहीं नहीं कहा गया है कि परिवादी द्वारा तथा विपक्षी बैंक द्वारा प्रदत्त स्टॉक विवरण में कोई भिन्नता है। परिवादी द्वारा क्षेत्रिय खाद्य नियन्त्रक के

वरिष्ठ विपणन निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.03.2003 की परिवादी चावल मिल की स्टॉक स्थिति योजित की गयी है, एक अन्य निष्पक्ष एजेन्सी कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2004 भी योजित किया गया है। इन सभी द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि दिनांक 30.04.2003/01.05.2003 की मध्य रात्रि में घटित उक्त अग्निकाण्ड के समय परिवादी चावल मिल में 3072.21 कुन्तल चावल उपरिलिखित विवरण के अनुसार भण्डारित था, जो सब का सब नष्ट हो गया।

विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख पर बिना विचार किए निराधार अपनी सर्वे रिपोर्ट में मात्र 340 कुन्तल स्टॉक की क्षति का आंकलन किया गया है। सर्वेयर द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुँचने सम्बन्धी बिन्दु को हमारे द्वारा सारवान नहीं पाया गया। सर्वेयर द्वारा प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की मद में तथा साज–सज्जा की क्षति मात्र 4,77,045.60 रू0 आंकलित की गयी है, जबकि इस मद में बीमा कम्पनी द्वारा रू0 18,47,000.00 का बीमा किया गया है और तद्नुसार उस पर प्रीमियम का भुगतान भी प्राप्त किया गया है। परिवादी की ओर से वैल्यूअर इंजीनियर श्री के0एल0 गुप्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 04 वर्ष पुरानी प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का मूल्यांकन 11,32,000.00 रू0 आंकलित किया गया है, जिसको पुनर्स्थापित करने हेतु 14,15,100.00 रू0 का खर्चा बताया गया है। बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा ह्रास की मद में कुछ महीनों पर 50 प्रतिशत तथा कुछ महीनों पर 20 प्रतिशत ह्रास लगाकर मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा नियुक्त सर्वेयर श्री के0एल0 गुप्ता द्वारा 13,69,700.00 रू0 में से साल्वेज मूल्य 7,000.00 रू0 घटाने पर कुल 13,62,700.00 रू0 मूल्यांकन की प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की मद में क्षति का आंकलन किया गया, जिसके रिकार्ड में 13,63,000.00 अन्तिम रूप से अंकित किया गया, जबकि विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा मात्र 4,77,045.60 रू0 का आंकलन किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। परिवादी द्वारा शासन के अनुमोदित सर्वेयर इंजीनियर श्री ए0के0शुक्ला की सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसके अनुसार भवन की क्षति 6,09,494.00 रू0 आंकलित की गयी है। विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त सर्वेयर इंजीनियर श्री ए0के0शुक्ला की भवन की क्षति सम्बन्धी आंकलन पर बिना कोई टीका टिप्पणी किये भवन की क्षति रू0 1,35,283.50 का आंकलन किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा " मै0 शोभिका अट्टायर बनाम् न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 व अन्य, 2006(46) एआईसी 70(एससी) " जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–23 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा मूल याचिका सं0–91/1999 में आदेश दिनांक 21.11.2005 के अन्तर्गत उक्त याचिका निरस्त कर दी गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। उस प्रकरण में अपीलार्थी/परिवादी तथा बैंक जहॉ परिवादी का माल बन्धक था, दोनों द्वारा आंकलित माल की क्षतिग्रस्त स्टॉक की मात्रा में कोई विभेद नहीं था, में पारित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवत् अवधारित किया गया है :–

"No allegation or evidence that the appellant had removed some of the goods from the showroom in anticipation of riots-Appellants were not in a position to supply better evidence of the looting of the entire goods—Appellants having discharged the initial burden of proving destruction and damage of the showroom and the stocks—It was for the Insurance Company to disprove such claim by evidence. Which the Insurance Company failed to do Direction issued to the Insurnce Company to pay to the appellant the balance amount of Rs. 97,83,827/- with interest @ 9% p.a. from the date of claim—Appeal allowed."

इसी प्रकार परिवादी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा " नेलम्बली फाइबर प्रोडक्ट्स बनाम् न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0, 2002(2) सीपीआर 109 (एनसी) " में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2002 भी प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नवत् सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"Insurance policy covering Building, machineries and stock etc.—Damage caused to stock and building in a fire incident—Surveyor estimated damage at Rs. 3,61,177/- as against complainant-appelant's claim for Rs. 8,31,770/- Respondent Insurance Co. made payment of amount assessed by surveyor to Bank with whom factory and machinery had been hypothecated in full and final settlement of claim despite protest by complainant against quantum of loss—Payment to Bank was made after complainant had filed complaint before State Commission—State Commission rightly treated said payment only an interim payment and proceeded to assess loss on basis of evidence—Commission assessed total loss at Rs. 4,68,893/- and directed Insurance Co. to pay balance Rs. 1,10,216/- with 18% interest—Complainants appeal – No scope found to further enhance the amount—Interest rate however reduced to 12% in view of Supreme Court judgement."

विपक्षी बैंक की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में उ0प्र0 राज्य आयोग द्वारा निर्णीत अपील सं0—538/2005 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम् नूर अली में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2008 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि यदि बीमा कम्पनी से कोई धनराशि तथा अभिलेख स्वेच्छा से निष्पादित किया जाता है तो उस स्थिति में प्रश्नगत समव्यवहार में धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव के आरोप लगया जाना निष्फल होगा।

इसी प्रकार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा भी अपने पक्ष के समर्थन में मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा " प्रेम प्रकाश अग्रवाल बनाम् नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0, III (2007) CPJ 433 (NC) " में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2007 प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"Discharge vouchers executed voluntarily -- Complainant not alleged their execution under fraud, undue influence, misrepresentation etc. – Not allowed to take about turn after receipt of said payment – Impugned order upheld."

उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर हम इस स्पष्ट मत के हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा विपक्षी बैंक से " full and final settlement of the claim " के आधार पर बीमा क्लेम की धनराशि का भुगतान किया जाना उपरोक्त दोनों ही विपक्षीगण के स्तर पर सेवा में कमी का द्योतक है, क्योंकि नियमतः उक्त धनराशि बीमा दावा के आंशिक भुगतान एवं " full and final settlement of the claim " के रूप में परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित डिस्चार्ज वाउचर के आधार पर होनी चाहिए थी, क्योंकि परिवादी द्वारा सीधे विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी से अपने चावल मिल के प्लाण्ट एण्ड मशीनरी आदि विभिन्न मदों में प्रीमियम का भुगतान करके बीमा कराया गया था। बीमा कम्पनी द्वारा सभी मदों में प्लाण्ट एण्ड मशीनरी, साज–सज्जा तथा स्टॉक आदि का विधिवत उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा का सही–सही आंकलन करने के उपरान्त रू0 63,47,000.00 का बीमा इस विवरण के अनुसार किया गया था कि (1) भवन के लिए 10,00,000.00 रू0, (2) प्लाण्ट एण्ड मशीनरी के लिए 18,47,000.00 रू0, (3) स्टॉक के लिए 35,00,000.00 रू0 और उनके अनुरूप परिवादी से उक्त बीमा पालिसी हेतु 22,326.00 रू0 का प्रीमियम दिनांक 22.10.2002 को प्राप्त किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा नियुक्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सर्वेयर एवं वैल्यूअर द्वारा विभिन्न मदों में आंकलित क्षति, बीमा धनराशि के सापेक्ष में निम्नवत् है :–

मद	बीमित धनराशि	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सर्वेयर एवं वैल्यूअर द्वारा आंकलित क्षति की धनराशि
भवन	10,00,000.00 रू0	6,09,494.00 रू0
प्लाण्टएण्ड मशीनरी, साज–सज्जा	18,47,000.00 रू0	18,47,000.00 रू0
मिल परिसर में गोदाम में भण्डारित स्टॉक	35,00,000.00 रू0	30,26,126.85 रू0
योग	63,47,000.00 रू0	54,82,620.85 रू0

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि परिवादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम सर्वेयर एवं वैल्यूअर द्वारा भवन, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी साज–सज्जा को हुई क्षति के आंकलन के आधार पर बीमा क्लेम प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा गोदाम में भण्डारित स्टॉक की स्थिति, विपक्षी बैंक को उसके द्वारा स्वीकृत बन्धक ऋण सीमा के सापेक्ष नियमित रूप से प्रेषित स्टॉक, जिसकी पुष्टि निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों यथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के द्वारा निर्धारित

दरों तथा सत्यापित विभिन्न प्रकार के, गोदाम में भण्डारित चावल की मात्रा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्पूर्ण चावल स्टॉक 3072.21 कुन्तल अग्निकाण्ड में जलकर राख हो गया, पर आधारित होने के कारण उसमें कोई सन्देह प्रकट किये जाने का अवसर एवं औचित नहीं प्रतीत होता, जबकि दूसरी ओर विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा गोपनीय रूप से तैयार की गयी गोपनीय रिपोर्ट, जिसकी प्रतिलिपि भी परिवादी को परिवाद योजित किये जाने से पूर्व क्षति के आंकलन के तत्तकाल बाद न तो तैल्यूअर द्वारा दी गयी और न ही विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा दी गयी। अग्रेतर विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा आंकलित क्षति रू0 11,29,577.00 रू0 के क्लेम स0–31/02–04/01 के भुगतान हेतु परिवादी के प्रतिनिधि अशोक कुमार की रसीद टिकट सहित हस्ताक्षरयुक्त रसीद दिनांक 29.03.2004, विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी, जिसमें उक्त क्लेम के " full and final settlement of the claim " का उल्लेख नहीं था और परिवादी द्वारा उक्त रसीद दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उसे उक्त धनराशि का भुगतान करने के बजाय विपक्षी बैंक को पत्र दिनांक 31.03.2004 से रू0 11,27,693.00 चेक स0–0122892 दिनांक 31.03.2004 द्वारा " full and final settlement of the claim " का उल्लेख करते हुए उक्त क्लेम स0–31/02–04/01 का निस्तारण जानबूझकर इस उद्देश्य से किया गया कि परिवादी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अवसर न मिल सके। अग्रेतर उपरोक्त दोनों रसीदों में क्लेम की धनराशि का अन्तर भी बीमा कम्पनी के स्तर पर स्पष्ट रूप से सेवा में कमी का द्योतक और कदाशयता का प्रमाण है, अन्यथा नियमतः परिवादी जिसके द्वारा अपने चावल मिल के भवन परिसर, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी साज–सज्जा तथा चावल स्टॉक को अग्निकाण्ड आदि से होने वाली क्षति से सुरक्षा हेतु प्रीमियम की धनराशि का भुगतान किया गया था, उसे ही बीमा क्लेम का भुगतान किया जाना था और वह उक्त धनराशि में से उक्तानुसार जिसे वह उचित समझते ऋण खाते में समायोजन हेतु विपक्षी बैंक में जमा कर सकते थे। विपक्षी बैंक द्वारा भी परिवादी पर लगे ऋण के चुकता को ध्यान में रखते हुए कदाचित विवश परिस्थितियों में " full and final settlement of the claim " का उल्लेख करते हुए विपक्षी बीमा कम्पनी से रू0 11,27,693.00 का चेक प्राप्त करके ऋण खाते में समायोजित कर दिया गया। विपक्षी बैंक द्वारा उपरोक्तानुसार " full and final settlement of the claim " के रूप में प्राप्त उक्त धनराशि, परिवादी के क्लेम को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि बैंक के उक्त कृत्य में न तो परिवादी की कोई सहमति थी और न ही परिवादी उसके लिए उत्तरदायी है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बीमा कम्पनी द्वारा विभिन्न मदों में परिवादी की प्रश्नगत बीमा सीमा के अन्तर्गत योजित क्लेम रू0 54,82,620.85 रू0 के स्वीकृत न होने और उसके किसी भाग का सफलतापूर्वक खण्डन हेतु सारवान तथ्यों एवं साक्ष्यों के अभाव में

हम उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह उचित समझते हैं कि भवन, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी साज–सज्जा लगभग 06 माह पुराने होने के कारण इन मदों में 05–05 प्रतिशत ह्रास अनुमन्य करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप निम्नवत् बीमा धनराशि परिवादी को अनुमन्य किया जाना न्यायसंगत होगा :–

मद	बीमित धनराशि	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सर्वेयेर एवं वैल्यूअर द्वारा आंकलित क्षति की धनराशि	अनुमन्य ह्रास	वास्तविक क्षतिपूर्ति
भवन	10,00,000.00 रू0	6,09,494.00 रू0	05 प्रतिशत 30,475.00 रू0	5,79,019.00 रू0
प्लाण्ट एण्ड मशीनरी, साज–सज्जा	18,47,000.00 रू0	18,47,000.00 रू0	05 प्रतिशत 92,350.00 रू0	17,54,650.00 रू0
मिल परिसर में गोदाम में भण्डारित स्टॉक	35,00,000.00 रू0	30,26,126.85 रू0	शून्य	30,26,126.85रू0
योग	63,47,000.00 रू0	54,82,620.85 रू0	1,22,825.00 रू0	53,59,795.85 रू0

चूँकि इस प्रकरण में विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी द्वारा विपक्षी सं0–2 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में परिवादी के ऋण खाते में समायोजित करने हेतु धनराशि 11,27,693.00 रू0 का दिनांक 31.03.2004 चेक द्वारा विपक्षी बैंक को भुगतान किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि 53,59,795.85 रू0 में से पूर्व में भुगतान की जा चुकी धनराशि 11,27,693.00 रू0 को घटाते हुए वास्तविक क्षतिपूर्ति की धनराशि 42,32,102.85 रू0 परिवादी, विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकारी है।

चूँकि इस धनराशि से परिवादी वंचित रहा और बैंक ऋण खाते में नियमानुसार देय ब्याज का भी परिवादी पर भार पडा है, ऐसी स्थिति में हमारे अभिमत में उक्त धनराशि 42,32,102.85 रू0 पर पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि के दिनांक 31.03.2004 से भविष्य में वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी परिवादी, विपक्षी सं0–1 बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकारी है।

तद्नुसार परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0–1, नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दो माह के भीतर परिवादी को हुई वास्तविक क्षति की पूर्ति स्वरूप बीमा धनराशि के रूप में 42,32,102.85 रू0 दिनांक 31.03.2004 से वास्तविक भुगतान

की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित परिवादी को सीधे भुगतान करना सुनिश्चित करे।

उभय पक्ष इस परिवाद का व्यय–भार स्वयं अपना–अपना वहन करेंगे।

उभय पक्ष को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।

13-05-2011
(एस0ए0ए0रिज़वी)
पीठासीन सदस्य

13.05.2011
(जुगुल किशोर)
सदस्य

प्रमोद।